भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 979

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय एम्बुलेंस संहिता का उल्लंघन

979 श्री रघु राम कृष्ण राजू:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एंबुलेंसों में आगे, पीछे और बगल के बंपर को चमकीला सफेद के निर्धारित मानक रंगों के स्थान पर नीले और हरे रंगों में बदलकर राष्ट्रीय एम्बुलेंस संहिता का उल्लंघन किया है जिससे जनसुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में उठाए जा रहे/प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) इस मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, सरकार ने सा.का.नि. 868 (ई) दिनांक 8 सितंबर 2016 के तहत सड़क एम्बुलेंसों के लिए रचनात्मक और कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए एआईएस-125 (भाग 1) अधिसूचित किया है। उक्त मानक का अनुबंध 1 निर्दिष्ट करता है कि संपूर्ण बाहरी हिस्से का मूल रंग बिलकुल सफेद (आरएएल-कोड 9010) होना चाहिए, सामने, पीछे और साइड बंपर को छोड़कर।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के दायरे में आता है।

*****